न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 139/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0

सतीश कुमार पुत्र श्री राईया, निवासी–क्वाटर नम्बर ई–7 आई0आई0पी0कालोनी, मोहकमपुर, देहरादून

बनाम

1. जग्ग प्रसाद 2. रमेश कुमार पुत्रगण बद्री प्रसाद, निवासीगण मिस्सरवाला कलां, देहरादून

3. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

4. ग्राम सभा मिस्सरवाला कलां द्वारा ग्राम प्रधान मिस्सरवाला कलां, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शास0अधि0(राज0)

निर्णय

यह निगरानी निगरानकर्ता उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला, जनपद देहरादून द्वारा कार्यवाही संख्या–13 वर्ष 2013–14 सरकार बनाम जग्ग प्रसाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10–04–2015 जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या 677 रकबा 0.0027है0, खसरा संख्या 678 रकबा 0.0133है0, खसरा संख्या 686 रकबा 0.0016है0, खसरा संख्या 687क रकबा 0.0223है0, खसरा संख्या 688 रकबा 0.0257है0 व खसरा संख्या 716ग रकबा 0.0017है0 कुल रकबा 0.0673है0 स्थित मौजा मिस्सरवाला कलां, तहसील डोईवाला को राज्य सरकार में निहित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है:–

दिनांक 23–03–2010 को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून द्वारा उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को उप निबन्धक, प्रथम, देहरादून के पत्रांक–41/स0र0प्रथम–दे0दून, दिनांक 18 मार्च, 2010, श्रीमती सन्तोष धमा पत्नी मिलकराम, निवासी मिस्सरवाला, देहरादून का प्रार्थना पत्र दिनांक 09–03–2010, संदर्भित विक्रय पत्र दिनांक 25–10–2007 एवं जग्ग प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुए

पत्र भेजा गया कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया जाय। दिनांक 23–08–2012 को सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, डोईवाला ने विवादित भूमि को प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकार में अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम इस आधार पर निहित करने का आदेश पारित किया कि विक्रेतागण/भूमिधर की जाति अनुसूचित जाति सत्यापित हुई है एवं उनके द्वारा प्रश्नगत विक्रय हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई है जिससे धारा–157क जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। उक्त आदेश के साथ संबंधित पक्षकारों को आवश्यक पक्ष रखने हेतु नोटिस भी जारी किया गया। निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–01 जग्ग प्रसाद द्वारा आपत्ति की गई/अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिनका आशय यह है कि दिनांक 25–10–2007 का विक्रय पत्र धोखे से कराया गया था जिसका संज्ञान होने पर उत्तरदाता जग्ग प्रसाद ने उसके निरस्तीकरण हेतु सिविल जज, देहरादून के समक्ष एक वाद संख्या–110/2010 जग्ग प्रसाद आदि बनाम श्रीमती पार्वती कश्यप योजित किया जिसमें अन्ततः प्रश्नगत विक्रय पत्र को शून्य व अवैध घोषित किया गया साथ ही प्रतिवादिनी को उक्त सम्पत्ति में स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा विधि विरूद्व हस्तक्षेप से निषिद्व किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा खसरा संख्या 688क में से 0.0171है0 व खसरा संख्या 678 में से 0.0055है0 अर्थात कुल 0.0226 है0 जग्ग प्रसाद व रमेश कुमार पुत्रगण बद्री प्रसाद से क्रय की गयी एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हैं। निगरानीकर्ता के अनुसार खतौनी में जाति की प्रविष्टि न होने एवं विक्रेतागण द्वारा अपनी जाति सम्बन्धी तथ्य स्पष्ट न किये जाने से विक्रय पत्र में जाति का उल्लेख होने से छूट गया। तद्नुसार धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला ने अन्ततः अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10–04–2015 के द्वारा दिनांक 25–10–2007 के विक्रय पत्र में अन्तर्वलित भूमि को धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किये। इसके साथ ही उन्होंने जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) से अपेक्षा की कि विक्रय पत्र निरस्तीकरण सम्बन्धी वाद में राज्य सरकार

को पक्ष बनवाकर उसे पुनः गुणदोष के आधार पर निर्णीत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। वर्तमान निगरानी उक्त आदेश के विरूद्व ही प्रस्तुत की गई है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की बहस सुनी एवं संगत पत्रावलियों का अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि निगरानीकर्ता एक सद्भावी केता है जिसे धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कार्यवाही का संज्ञान विक्रय से पूर्व नहीं हो पाया तद्नुसार उसके विरूद्व आक्षेपित आदेश नहीं पारित हो सकता था, कि निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के निरस्त किये बिना न तो विद्वान सहायक कलेक्टर को वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का क्षेत्राधिकार था, न ही निगरानीकर्ता से कब्जा हटाने का आदेश देने का अधिकार था, कि विक्रय पत्र दिनांक 25–10–2007 को दिनांक 06–10–2010 को निरस्त किये जाने के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश अवैधानिक रूप से पारित किया गया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज न्यायालय का अपीलीय न्यायालय नहीं है।

दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का कहना है कि विक्रय पत्र दिनांक 25–10–2007 एक अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय किये जाने सम्बन्धी था। तद्नुसार अन्तर्वलित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाना विधिसम्मत था।

स्वीकार्य रूप से दिनांक 25–10–2007 को निष्पादित विक्रय पत्र एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित हुआ था। तद्नुसार प्रकरण में धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते थे परन्तु उक्त विक्रय पत्र विद्वान सिविल जज, देहरादून के आदेश दिनांक 06–10–2010 के अधीन शून्य एवं अवैध घोषित किया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कार्यवाही का आधार समाप्त हो गया। विक्रय पत्र दिनांक 25–10–2007 के शून्य एवं अवैध घोषित किये जाने के दृष्टिगत यह धारणा बनती है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र निष्पादित ही नहीं हुआ। तद्नुसार आक्षेपित आदेश पारित किये

जाने के स्थान पर आलोच्य कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए थी। तद्नुसार आक्षेपित आदेश निराधार है एवं विधिसम्मत नहीं है।

जहाँ तक विक्रय पत्र निरस्तीकरण सम्बन्धी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर वाद का गुणदोष पर निस्तारण कराये जाने सम्बन्धी तर्क का प्रश्न है इस हेतु राज्य सरकार स्वतन्त्र है परन्तु जब तक विद्वान सिविल जज, देहरादून का संदर्भित निर्णय व आदेश अखण्डित व अपरिवर्तित है तब तक आक्षेपित आदेश व कार्यवाही दोनों का औचित्य नहीं रह जाता। तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला का आक्षेपित आदेश दिनांक 10–04–2015 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **27–07–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)